न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00350 (230/2018) 223 आरटीएक्ट

1. बनवारी लाल पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र कानाराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. माडी देवी बेवा रामरतन जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. रामलाल पुत्र रामरतन जाति कुम्हार निवासी ढेण्ढेला तहसील नोहर।
3. भागीरथ
4. रामेश्वर

} पि0 राम उर्फ श्योराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

5. रामकिशन
6. गंगाजल
7. धर्मपाल

} पि0 ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–– रेस्पोडैन्टस

9. गोविन्द
10. विद्या
11. कमला
12. गीता

} पि0 कानाराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

13. रेशमी पुत्री श्रीराम उर्फ श्योराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर। (फौत)

13/1 रामस्वरूप
13/2 रामप्रताप
13/3 धर्मपाल
13/4 गुड्डी
13/5 गोमती
13/6 मुन्नी देवी
13/7 विमला

} पि0 रेशमी पुत्री श्रीराम उर्फ श्योराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. रजो बेवा ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।–फौत

14/1 गंगाजल
14/2 धर्मपाल
14/3 सावित्री
14/4 भगवानी
14/5 ज्ञानी
14/6 बनारसी
14/7 चावली

} पुत्रीयान रजो बेवा ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर

15. सावित्री
16. भगवानी
17. ज्ञानी
18. बनारसी
19. चावली

} ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

20. सुरजी बेवा लिछमण जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला नोहर।

21. रूपराम
22. राजाराम
23. भादरराम
24. मीरा
25. मेहरा
26. गोमती
27. गिरदावरी

} पि0 लिछमण जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.06.2018 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर, प्रकरण संख्या 278/2012 बअनवानी माडीदेवी आदि बनाम कानारमा आदि

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट सं0 2, 4 ता 7, 15 ता 19 की ओर से ।

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 की और से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक – 25.02.2020

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से 7 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वाके रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के विभिन्न खसरा नम्बरान की 164.03 बीघाा भूमि वाद में दर्शाये संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व संयुक्त पैदाकरदा मुश्तरका कब्जा काश्त की भूमि है। इस भूमि के खसरा नं0 63/17.01 बीघा भूमि लेखराम पुत्र खेमाराम के नाम पुरानी खातेदारी भूमि थी जो उसने दिनांक 30.07.57 को अपने तीनो पुत्रो श्रीराम उर्फ श्योराम, लिछमण व रामरतन को बहिस्सा बराबर जरिये रजिस्ट्रड दस्तावेज तमलीक कर दी। यह समस्त भूमि खसरा नम्बरान से पत्थर नम्बरान में कुल 159.12 बीघा भूमि में परिवर्तित हुई। इस 159.12 बीघा भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 से 7 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का 1/3 हिस्सा है। उपरोक्त भूमि की जमाबन्दीयों में प0नं0 247/381 की 13.13 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा प0नं0 247/382 की 4.14 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम कतई गलत दर्ज है। यह भूमि पहले लेखु पुत्र खेमा के नाम थी व सम्वत् 2017 में भाखरां क्षेत्र में चली गई तथा यह भूमि नहरी भूमि मानकर तथा लेखूराम के पास ज्यादा भूमि होना मानकर इस भूमि को आराजी राज घोषित कर दी लेकिन उक्त भूमि बारानी भूमि है व लेखूराम उक्त भूमि रेस्टोरेशन करवाने का अधिकारी था लेकिन सन् 1967 में लेखूराम फौत हो गया। मगर यह भूमि इनके नाम दर्ज रहने से वादीगण के हकूक काश्तकारी पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः वाद–वादीगण डिक्री किया जाकर विवादित कुल 159.12 बीघा भूमि का वाद में वर्णितानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी फराई जावे।

2. कि प्रतिवादी संख्या 1 व 9 से 13 व 15, 16 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किये कि खसरा नं0 48 मिन तादादी 12 बीघा पश्चिमी भाग भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की होना स्वीकार नही है, उक्त भूमि लिछमण राम अकेले की अर्जित भूमि थी जो बाद में प्रतिवादी संख्या 10 से 13 के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। प्रश्नगत् 159 बीघा 12 विस्वा भूमि में 30 बीघा 17 विस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम व प्रतिवादी संख्या 10 रूपराम की निजी खातेदारी भूमि को सम्मलित कर वादीगण ने हिस्साकस्सी दर्ज की है जो गलत है। प्रतिवादी संख्या 1 व 10 अपनी अलाटशुद्वा भूमि पर काबिज है इस भूमि की कीमत भी प्रतिवादी संख्या 1 व 10 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अदा की गई है। वादीगण का इस 30 बीघा 17 विस्वा भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हित व अधिकार नही है, दावा वादी संधारण योग्य नही है। प्रश्नगत् भूमि में 18 बीघा 17 विस्वा भूमि भाखरा नहर परियोजना एकीकरण में आराजी राज हो चुकी है। लेखराम को उक्त भूमि में कोई काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही थे, उक्त भूमि राजकीय भूमि थी जो बाद में भूमिहीन को पुख्ता आवंटित की गई। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में निर्णय हो चुका है जिसे वादीगण द्वारा चुनौती नही दी गई है। वादीगण के खिलाफ मामला एस्टोपल का है जिससे खारिज किये जाने योग्य है।

3. कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की जवाबदेही के आधार पर तनकीयात विरचित करने के पश्चात भागीरथ पुत्र श्रीराम, बनवारी लाल पुत्र लिछमण राम की साक्ष्य ली गई व बाद सुनवाई दिनांक 20.06.2018 को वाद वादीगण डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादाधीन भूमि में से खसरा नं0 317 की 22 बीघा 5 विस्वा भूमि अपीलांट के पिता लिछमणराम को आरजी काश्त पर आवंटित हई थी व सदामत में अपीलांट के पिता के नाम दर्ज कागजात माल रही व अपीलांट के पिता ही इस भूमि का लगान अदा करते रहे तत्पश्चात उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार लिछमण राम को प्राप्त हो चुके थे व इस भूमि पर रेस्पोडैन्टस का कोई हक व हित नही था व न ही है। लिछमणराम की मृत्य के बाद यह भूमि वादीगण के कब्जा मे नही रही। विवादित भूमि लेखूराम की सरपल्स मानकर आराजी राज घोषित कर दी गई, जिसके खिलाफ लेखराम या उसके किसी वारिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई, आराजी राज का निर्णय अन्तिम हो चुका है जिसे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में चुनौती नही दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में कहीं भी लेखराम का नाम अंकित नही है बल्कि लिछमण राम का नाम अंकित है चूंकि प्रश्नगत् भूमि में लिछमण राम का नाम अंकित है तो प्रश्नगत् भूमि पौत्रिक सम्पति नही हो सकती अधिनस्थ न्यायालय ने पौत्रिक सम्पति होना मानने में गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउंण्टर कलैम पर कोई निर्णय नही दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण व अधूरा है। लेखराम की भूमि पर सिलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी जिसे इस वाद के अन्तर्गत संशोधित नही किया जा सकता व सिलिंग की भूमि की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इस वाद के जरिये खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्व मण्डल राजस्थान, आर बी जे 2000 पज 375, आर बी जे 1999 पेज 158, आर आर टी 2018(2) पेज 1007, आर आर टी 2019 पेज 845, आर आर टी 2018 पेज 1094, सी सी सी 2017(1) पेज 594 व आर आर डी 1989 पेज 774 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतय सही है व पूर्ण जांच कर पारित किया गया है। प्रश्नगत् भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त भूमि थी व लेखराम द्वारा अपने वैधानिक अधिकारों के तहत ही तमलीकनामा करवाया गया था। अगर प्रश्नगत् भूमि लिछमण राम को आवंटित भूमि होती व राजस्व अभिलेख में लेखराम के नाम दर्ज न होती तो प्रश्नगत् भूमि का तमलीकनामा निष्पादित ही नही हो पाता, तमलीकनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे इस न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट थी कि प्रश्नगत् भूमि लेखराम की ही है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किये कि आवंटन का निर्णय अन्तिम हो चुका है व इस वाद में चुनौती नही दी सकती अगर आवंटन का निर्णय अंतिम हो चुका है व इस वाद में उस आवंटन को चुनौती दी गई है तो अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र था लेकिन अपीलांट ने आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत न कर स्वयं काउन्टर कलैम प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउन्टर कलैम में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष चाहा था लेकिन अपीलांट ने लैण्ड होल्डर को पक्षकार नही बनाया जो आवश्यक पक्षकार था व पक्षकार के अभाव में काउन्टर कलैम चलने योग्य ही नही था। अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है, अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यन किया गया।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडैन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वाद में रोही मौजा ढण्ढेला तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नोहर की कुल 159.12 बीघा भूमि भूमि लेखू वल्द खेमा की भूमि होने के कथन किये है तथा लेखू के तीन वारिस श्रीराम व लिछमण तथा रामरतन है तथा लेखू की कुल 159,12 बीघा भूमि के तीनो बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार होने का अनुतोष चाहा है जबकि लेखू के वारिस लिछमण के वारिसान का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि में से खसरा नं0 317 की 22 बीघा 5 विस्वा भूमि से लेखू का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही था व यह भूमि लिछमण को आंवटित भूमि है व जद्दी व पुश्तैनी भूमि नही है जिसमें श्रीराम व रामरतन के वारिसान का कोई हक व अधिकार नही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी–1 पर्चा खतौनी सम्वत् 2016 के अनुसार खसरा नं0 317 की 22 बीघा 5 विस्वा भूमि लिछमण वल्द लेखू कौम कुम्हार के नाम से आरजी काश्त दर्ज है तथा प्रदर्श–2 उपनिवेशन विभाग की जारी खसरा मिलान खसरा नं0 317 की प्रश्नगत् भूमि लिछमण वल्द लेखू के नाम आरजी काश्त दर्ज है तथा प्रदर्श–डी 5 व 6 में भी यह भूमि लिछमण के नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति मे यह नही कहा जा सकता कि खसरा नं0 317 की 22 बीघा 5 विस्वा भूमि लिछमण राम की न होकर लेखू की भूमि ही हो व पुश्तैनी भूमि हो व पुश्तैनी भूमि होने के कारण लेखू के सभी वारिसान का इस भूमि में हक हित व अधिकार हो। इसके अलावा रेस्पोडैन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नं0 64 की जो 18 बीघा 17 विस्वा भूमि जो लेखू के नाम दर्ज थी व सम्वत् 2017 में भाखरा क्षैत्र में चली जाने के काण व लेखू के पास सिलिंग से अधिक भूमि होना मानकर उसे आराजी राज घोषित की गई भूमि थी उसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई थी। अपीलांट द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब दावा में लेखू की भूमि सिलिंग सीमा से अधिकार होने के कारण अधिग्रहण किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है अर्थात स्वीकारोंक्त रूप से लेखू की खसरा नं0 64 की 18 बीघा 17 विस्वा भूमि अधिग्रहण की गई थी व पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड प्रदर्श–3 के अनुसार रूपराम को व प्रदर्श–4 के अनुसार कानाराम को आवंटित की जा चुकी है। **चूंकि उक्त भूमि सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानकर भूमि अधिग्रहण करते हुए विधिवत् रूप से अधिग्रहित भूमि का आवंटन किया गया है व ऐसी आवंटित भूमि को विचाराधीन वाद के तहत चुनौती नही दी जा सकती। सीलिंग से अधिग्रहण होने पर भूमि रकबाराज हो जाती है और रकबा राज भूमि को किसी को भी आवंटन किया जा सकता है इसमें किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लिछमण के नाम दर्ज खसरा नं0 317 की 22 बीघा 5 विस्वा भूमि व अधिग्रहित भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जांच न करते हुए**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

समस्त भूमि को पुश्तैनी भूमि होना मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये हैं, जो पूर्णतय विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2018 निरस्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:17:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: